

नोटिस तारीख दिनांक 25/06/2024 को पेश हो।

S.D.O.

25/06  
2024

पत्रावली पेश हुई... P.O. साहब...  
दिनांक... पेश करने से  
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक  
23/08/24 को पेश की जावे।

P.O.  
S.D.O.

23/07  
2024

पत्रावली पेश हुई। वकील आधी व पेशकार अन्त  
न्यायालय में उपस्थित। अप्रार्थी सं. 01 के नोटिस जोफे  
वकील आधी द्वारा पेश किए जो जारी किए गए।  
पत्रावली करते वृत्तजार नोटिस तारीख अप्रार्थी  
सं. 01 दिनांक 07/08/2024 को पेश हो।

S.D.O.

07/08  
2024

पत्रावली पेश हुई... P.O. साहब राजगार्य  
... में... होने से  
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक  
04/09/24 को पेश की जावे।

P.O.  
S.D.O.

04/09  
24

पत्रावली पेश हुई... P.O. साहब अवकार  
... में... होने से  
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक  
11/9/24 को पेश की जावे।

P.O.  
S.D.O.

11/09  
2024

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी  
को अप्रार्थी सं. 01 के नोटिस प्रोसेस प्रस्तुत करने  
के पूर्व में दिनांक 21.02.2024 में अब तक कुल 04  
अवसर दिये जाने के बावजूद भी वकील प्रार्थी नोटिस  
प्रोसेस प्रस्तुत करने में असफल रहे। इससे प्रतीत होता  
है कि वकील प्रार्थी की प्रार्थना-पत्र चलायान नहीं चाहते  
हैं। अतः वकील प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र इसी स्तर पर  
CPC के (O)9(R)5 के अन्तर्गत वकील आधी द्वारा।

# Form No. III

App-Z  
crim-I

## फर्द अहकाम (नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

अंकित सीठा

बनाम गीताबाई


क्रमांक

पार्थनापत्र

नं०

05/2021

सन्

	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
	<p>नये समन लाने में असफल रहने से खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसल कुमार वी दर्ज रजिस्टर से काम की जाकर शामिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)</p>	